



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone

प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in



दिनांक: 29-07-2021

कार्यालय आदेश संख्या 15/2021

अंचल में उप/सहायक आयुक्तों के ग्रेड में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन तथा अधिकारियों को उनके नये पदस्थापन स्थानों पर रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध कार्यग्रहण समय के परिणामस्वरूप, यह देखा गया है कि मुख्य आयुक्त के कार्यालय में कुछ हफ्तों के लिए कोई उपायुक्त/सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी नहीं होगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए, मुख्य आयुक्त कार्यालय में कार्यरत सहायक आयुक्तों (इन-सीटू) को अस्थायी रूप से निम्नानुसार प्रभार सौंपने का निर्णय लिया गया है:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्व श्री	प्रभार आबंटित
1.	एस. गिरीधर, सहायक आयुक्त	मुख्य आयुक्त कार्यालय के कार्यालय आदेश सं. 14/2021, दिनांक 28-07-2021 के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित अनुभागों को आबंटित कार्य की निगरानी 1. सीमा शुल्क 2. तकनीकी -2 (विरासत) 3. विधिक एवं लेखा परीक्षा 4. समीक्षा 5. डीएसी 6. राजभाषा
2.	एफ.ए. कूपर, सहायक आयुक्त	मुख्य आयुक्त कार्यालय के कार्यालय आदेश सं. 14/2021, दिनांक 28-07-2021 के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित अनुभागों को आबंटित कार्य की निगरानी 1. तकनीकी-1 (जीएसटी) 2. प्रणाली एवं सीपीसी 3. स्थापना 4. सतर्कता 5. प्रशासन (लेखा को छोड़कर) 6. ई-आफिस एवं सीआरयू

2. अधिकारी संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.) को रिपोर्ट करेंगे और उनके माध्यम से सभी फाइलों आगे भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी, मु.आ.का., विशाखापत्तनम जोन लेखा मामलों से संबंधित फाइलों को सीधे संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), विशाखापत्तनम जोन को प्रस्तुत करेंगे।

3. फाइलों और पत्राचार की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए ई-ऑफिस में आवश्यक मैपिंग किया जाए।

4. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापत्तनम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
(वाई भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

[फाइल जीसीसीओ/II/(3)/53/2021-स्था.-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी]

सेवा में

1. संबंधित अधिकारियों को।

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

विशाखापटनम क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्तों / आयुक्तों को।

प्रतिलिपि :

मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापटनम क्षेत्र के सभी अनुभागों के प्रमुख को।

प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापटनम क्षेत्र के वरिष्ठ वैयक्तिक सचिव ।